

श्रम विभाग अधिसूचना संख्या 4268 (एलएल)/xxxvi (बी)-449 (एलएल)-62, दिनांक 23 अगस्त, 1963, उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र, भाग I, दिनांक 31 अगस्त, 1963, पृष्ठ 1638 में प्रकाशित

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, 1962 के नियम 31 के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अवकाश अधिसूचित करते हैं, जो मोटर परिवहन कर्मकारों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे:

सार्वजनिक छुट्टियाँ

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. गणतंत्र दिवस | एक दिन (26 जनवरी)। |
| 2. स्वतंत्रता दिवस. | एक दिन (15 अगस्त)। |
| 3. गांधी जयंती | एक दिन (2 अक्टूबर). |

2. उपर्युक्त नियमों के नियम 31 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्यपाल यह भी अधिसूचित करते हैं कि निम्नलिखित में से कोई भी 3 अवकाश मोटर परिवहन कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे, बशर्ते कि इस आशय की सूचना मोटर परिवहन कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को अवकाश की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व लिखित रूप में दी जाए।

प्रतिबंधित छुट्टियाँ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. नए साल का दिन | एक दिन। |
| 2. गुरु गोविंद सिंह जयंती | एक दिन। |
| 3. ईद-उल-फितर | एक दिन। |
| 4. होली | एक दिन। |
| 5. भगवान महाबीर की जयंती | एक दिन। |
| 6. गुड फ्राइडे | एक दिन। |
| 7. बैसाखी | एक दिन। |
| 8. मोहर्रम | एक दिन। |
| 9. ईद-उल-अजहा | एक दिन। |
| 10. अनंत चतुर्दशी | एक दिन। |
| 11. दशहरा | एक दिन। |
| 12. देवाली | एक दिन। |
| 13. गुरु नानक जयंती | एक दिन। |
| 14. क्रिसमस | एक दिन। |
| 15. जमशेदी नौरोज़ | एक दिन। |
| 16. ज़ारूस्टर का जन्मदिन | एक दिन। |
| 17. (पारसी) नव वर्ष दिवस | एक दिन। |